Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 2, February-2019, ISSN 2230-7540

बलात्कार को रोकने का उपाय - मृत्युदण्ड?: एक समीक्षा कानूनी

Vinita*

Research Scholar, Department of Political Science, NIILM University, Kaithal, Haryana

शोध आलेख सार: *बलात्कार विरोधी कानून की परतें बहुत उलझी हुई है। बलात्कार जैसे अपराध को किस श्रेणी में रखा जाये? अगर किसी महिला का पति उससे बलात्कार करता है तो ये अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आता? लड़के और लड़कियों के लिए सेक्स की उम्र 18 वर्ष से कम न किये जाने के क्या मायने हैं? ऐसे कई सवाल पिछले दिनों इस सिलसिले में चली बहसों में उभर कर सामने आये है। 2001 से 2011 तक बलात्कार के आँकड़ों में वृद्धि हुई है। 2015 को अपेक्षा 2016 में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है। कई बार ऐसे मामलों को दबा भी दिया जाता है। बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आज तक कई कानून बने है, जैसे पॉक्सो एक्ट 2012। परंतु कठोर कानून होने के बावजूद बलात्कार पर रोक नहीं लगाई जा सकी। ध्यातव्य है कि इन कानूनों को और कठोर बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत आपराधिक कानून अध्यादेश (संशोधन) 2018 लाया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अप्रैल, 2018 को अपनी स्वीकृति दी। इस कानून में बलात्कार जैसे सघन्य अपराध को रोकने के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है। परंतु इस बात पर भी बहस है कि क्या मृत्युदण्ड बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक लगा सकता है।*

मुख्य शब्द: *बलात्कार, मृत्युदण्ड़, प्रावधान, पॉक्सो एक्ट, घटनायें, मामले, कानून,* ***National Crime Record Bureav,*** *आपराधिक दण्ड सहिता, बच्चे, अपराधी*

----------X----------

भूमिका:

वर्ष 2018 में संसद ने बलात्कारियों के लिए मृत्यु दण्ड सहित कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधान वाले नए विधेयक को पास कर दिया है। ये कहा जा सकता है कि सरकार ने कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया, मसलन महिलाओं के प्रति वाजिब बर्ताव, समाज में पितृसत्तात्मक विचारों का प्रभुत्व आदि। साथ ही सरकार, औपनिवेशिक, काल (1860) की भारतीय दण्ड संहिता को थोड़ा और कठोर दिखाना चाहती थी। इस कानून में ज्यादातर मामलों में जेल की सजा को बढ़ा दिया गया है। बलात्कार के उन मामलों में जिनमें पीडिता कोमा में चली गई हो या दोबारा रेप किया गया हो, मौत को सजा का प्रावधान किया गया है।

हमारे पास ऐसा कोई विश्वसनीय अध्ययन नहीं है जिससे यह पता चले की कड़ी सजा से थौंन हिंसा के मामलों में कमी आती हो। अन्य देशों के उदाहरण से पता चलता है कि कुछ जगहों पर मृत्युदण्ड के प्रावधान से बलात्कार के मामलों में कोई कमी नहीं आई जबकि कुछ स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ अधिक हिंसक अपराधों की घटनायें बढ़ी। प्रस्तवित कानून में कुछ 'नकारात्मक पहलू' भी है। नया कानून केवल महिलाओं को बलात्कार और यौन हिंसा से संरक्षण देता है। पुरूषों और ट्रासजेंडर लोगों के बचाव के लिए किसी तरह के प्रावधान का न होना इसको एक बड़ी कमजोरी है। पत्नी के साथ बलात्कार अब भी कानूनी है। 'अशांत क्षेत्रों' में सशस्त्र बलों को बलात्कार और यौन हिंसा के अपराधों से अभी तक प्रभावी रूप से संरक्षण मिला हुआ है।

शोध प्रविधि:

इस शोध पत्र के लिए शोध सामग्री अधिकांश रूप में द्वितीयक स्त्रोतों से ग्रहण की गई है। इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णनात्मक दृष्टिकोण के साथ-साथ शोधकत्री ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है।

www.ignited.in

जम्मु-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ वर्षीय एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना, उन्नाव और सूरत में बलात्कार के मामले को लेकर देश भर में उपजे रोष के मद्येनजर केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत् आपराधिक कानून अध्यादेश (संशोधन) 2018 लाया जिसे राष्ट्रपति ने 22 अप्रैल 2018 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। केन्द्रिय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कुछ दिन पहले अपने विभाग से पौक्सो कानून 2012 में संशोधन के प्रस्ताव पर काम करने के लिए कहा था, 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय ने बाल यौन उत्पीड़न के दोषियों को बधियां (नपुसंक) करने का सुझाव केन्द्र सरकार को दिया था। एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी संसद को ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोरतम कानून बनाने का परामर्श दिया था। केन्द्र द्वारा लाये गये अध्यादेश के द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधिक, प्रक्रिया संहिता 1973 एवं यौन उत्पीडन से बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम-2012 (पॉक्सो एक्ट) को संशोधित किया गया है।

आपराधिक कानून अध्यादेश (संशोधन) 2018 के प्रमुख बिंदू:-

- अध्यादेश महिलाओं के बलात्कार की सजा को 7 वर्ष से बढाकर 10 वर्ष करने के लिए आईपीसी, 1860 में संशोधन करता है।
- 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए 20 वर्ष का न्यूनतम कारावास होगा जिसे आजीवन या मृत्युदण्ड तक बढ़ाया जा सकता है।
- 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां के बलात्कार के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
- आपराधिक दंड संहिता प्रक्रिया 1973 के अंतर्गत बच्चों के बलात्कार के मामलों में जांच तीन महिनों में पूरी होनी चाहिए। अध्यादेश बलात्कार के सभी मामलों में इस अवधि को दो महिने करता है।
- जुर्माने का निर्धारण न्यायोचित, तार्किक एवं पीडित के चिकित्सकीय एवं पुर्नवास के खर्चों के आधार पर तय करने का प्रावधान।
- पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार किये जाने पर न्यूनतम 10 वर्ष कठोर कारावास का प्रावधान।
- अध्यादेश 16 वर्ष के कम उम्र की नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के मामलों में अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है। इसके अतिरिक्त बलात्कार के मामलों में दण्ड के फैसले के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई छह महीने में पूरी होनी चाहिए।
- भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी), 1860 में संशोधन
- 12 वर्ष से कम आयु की लडकियों के साथ बलात्कार के लिए न्यूनतम 10 वर्ष या अधिकतम आजीवन कारावास तथा सामूहिक बलात्कार के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास।
- यहि प्रावधान 16 वर्ष से कम उम्र की लडकियों के साथ बलात्कार के लिए प्रावधान किया गया है।
- 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र की लडकियों के साथ बलात्कार के लिए न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन के कारावास का प्रावधान है।

यौन अपराधों से बाल सुरक्षा एक्ट (पॉक्सो), 2012 में संशोधन:-

- पॉक्सो एक्ट 2012 में नाबालिगों के बलात्कार के दण्ड से संबंधित प्रावधान है।
- यह (पॉक्सो एक्ट) कहता है कि नाबालिगों के बलात्कार के मामलों में वह दण्ड लागू होगा, जो कि पॉक्सो, 2012 और आईपीसी 1860 के अंतर्गत दिए जाने वाले दण्ड में से अधिक होगा। यह प्रावधान अब निल में आने वाले नए अपराधों पर भी लागू होगा।
- आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 में संशोधन
- सीआरपीसी, 1973 के अनुसार, किसी बच्चे के बलात्कार की जांच तीन महीनें में पूरी होनी चाहिए।

www.ignited.in

- किसी भी अपील की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।
- अग्रिम जमानत के लिए शर्तों को सूचीबद्ध किया गया।
- भारतीय साक्ष्य (इंडियन एविडेंस) एक्ट, 1872
- भारतीय साक्ष्य एक्ट के अंतर्गत यह निर्धारित करने में कि कोई कृत्य सहमति से अथवा नहीं, पीडिता का पूर्व यौन अनुभव या चरित्र मायने नहीं रखता। इस प्रावधान में 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों के बलात्कार और सामूहिक बलात्कार को शामिल किया गया है।

अध्यादेश का सबसे चर्चित बिंदु 12 वर्ष के कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में मृत्युदण्ड का प्रावधान है, अध्यादेश के तहत बलात्कार की योजना बनाने वाले, करने वाले तथा इस कुकृत्भ में शामिल अपराधियों के लिए कडे दण्ड की व्यवस्था की गई है। ऐसे मामलों के लिए नए फास्टट्रैक न्यायालय गठित करने, बलात्कार के मामलों की जांच के लिए उपलब्धता तथा 16 वर्ष से कम आयु कि बालिकाओं के लिए अग्रिम जमानत की व्यवस्था समाप्त करने का उल्लेख इस अध्यादेश में किया गया है।

यद्यपि देश भर में बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए 'पॉक्सो' कानून में संशोधन के फैसले का विरोध किया गया है।

सरकार का मानना है कि मृत्युदण्ड के प्रावधान से ऐसे मामलों में कमी आयेगी जबकि एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है। हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश ने भी 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदण्ड को सजा का प्रावधान किया है।

आंकडें क्या कहते हैं?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2001 से 2011 तक कुल 48.33 प्रतिशत बच्चों के बलात्कार के मामले दर्ज किये गए थे। भारत में बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में 33.6 प्रतिशत वृद्धि देखी गयी है।

2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बलात्कार के मामले 2015 की तुलना में 2016 में 12.4 प्रतिशत बढे है। 2016 में 38947 बलात्कार के मामले देश में दर्ज हुए। मध्यप्रदेश इनमें अव्वल है। उतर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। दिल्ली को एन.सी.आर.बी. के सालाना सर्वेक्षण के बाद महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर माना गया।

- एन.सी.आर.बी. की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर घंटे में 4 रेप, यानी हर 14 मिनट में 1 रेप हुआ है।
- एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के मुताबिक 95 प्रतिशत घटनाओं को परिवार के सदस्यों ने ही अंजाम दिया है। बच्चों के बलात्कार के अधिकांश मामलों की रिपोर्ट पुलिस को नहीं की जाती।

बलात्कार: आखिर क्यों होते हैं ?

बलात्कार यह लफज कितना असर करता है हम पर? क्या झनझना देता है हमारे मानस के तंतुओं को या हम ऐसी खबरों को देख-सुन कर निरपेक्ष भाव से आगे बढ जाते हैं ? अगर हम संवेदनशील है तो ही खबर हमें स्पर्श करती है अन्यथा आमतौर पर यही प्रतिक्रिया होती है कि उफ, फिर वही बलात्कार के आए दिन सामने आते पहलुओं पर गौर किया जाए तो बलात्कार के 5 प्रमुख कारण माने जा सकते हैं:-

- पुरूषों की मानसिक दुर्लबता/सामाजिक दबाव में कमी इसका पहला कारण माना जा सकता है। परिवेश में धुलती अनैतिकता और बेशर्म आचरण ने पुरूषों के मानस में स्त्री को मात्र योग्या ही निरूपित किया है। यह आज की बात नहीं है अपितु बरसों-बरस से चली आ रही एक लिजलिजी मानसिकता है जो दिन-प्रतिदिन फैलती जा रही है।
- बलात्कार का दूसरा कारण नशा है। यह कारण बलात्कार के 80 प्रतिशत मामलों में प्रमुख वजह बनकर उभरा है। हर छोटे-बड़े शहर में नशा इस तरह बिकता है जैसे पानी के पाऊच। नशा आदमी, की सोच को विकृत कर देता है उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता और गलत दिशा में बहकने की संभावनायें शत-प्रतिशत बढ जाती है। ऐसे में कोई भी स्त्री उसे मात्र शिकार ही नजर आती है।
- तीसरा कारण बलात्कार के 60 प्रतिशत केस में सामने आया है। हर बडे नेता, अधिकारी, उद्योगपति का एक फार्म हाऊस होना आम बात है

www.ignited.in

इन फार्म हाऊस में वास्तव में होता क्या है? ये किसी से छुपा नहीं है। हर तरह के गुंडों का यह पालन केन्द्र या अय्यासी सेंटर होता है जहां गरीब और बेबस महिलाओं से लेकर आगे बढने की आकांक्षों मूर्ख बालाओं तक को पेश किया जाता है। यह जगह पुलिस और प्रशासन की नजरों से दूर होती है। महिला के चीखने-पुकारने पर भी कोई नहीं पंहुच सकता।

- चैथा कारण पुलिस और प्रशासन की अक्षमता है। अब तक कई मामलों मे कमजोर कानून से गलियां ढूंढकर अपराधी के बच निकले के कई किस्से सामने आ चुके हैं।

- पांचवा कारण महिला का कमजोर आत्मविश्वास है। एक महिला को अपनी सुरक्षा और बचाव के हर तरह के उपाय आने चाहिए। हमारी संस्कृति लडकियों की परवरिश कुछ इस तरह करती है कि वह निर्भर बनती चली जाती है, जबकि हमें अपनी बेटियों को निडर बनाना चाहिए। अकेली महिला अगर डरी-सहमी हो तो उसे परेशान करने की कई गुना संभावना बढ़ जाती है। यह भ्रामक धारणा भी है कि यौन उत्पीडन सिर्फ लड़कियों का होता है, जबकि सच्चाई यह है कि लडकों के साथ भी इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फण्ड, सेव द चिल्डन एंव प्रयास एनजीओ के सहायता से किए गए सर्वे के हवाले से यह बात सामने आई है कि यौन दुव्र्यवहार के अनेक मामले लडकों से संबंधित है।

- क्या मृत्युदण्ड बलात्कार का कारगर उपाय है:- कठुआ की घटना से द्रवित मेनका गांधी पाॅक्सो यानी यौन उत्पीडन से बच्चों के संरक्षण के कानून में अन बलात्कार के लिए फांसी की सजा जोडना चाहती है बहुत सारे लोगों को लगता है कि बलात्कार के लिए फांसी की सजा होगी तो मुजरिम डरेंगे। लेकिन फांसी कैसे होगी? क्या किसी सुनवाई के बिना आप किसी को फांसी की सजा सुना देंगे? कई नादान लोगों को लगता है कि ऐसे मामलों में बहुत सुनवाई नहीं होना चाहिए - आरोपियों को सीधे फांसी दे देनी चाहिए या गोली मार देनी चाहिए। लेकिन यह काम कौन करेगा? क्या पुलिस तेक्ष को कोई अधिकार देना चाहिए? या अलग कोई विंग बनाया जाये जो बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाये। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने बच्चियों से बलात्कार के मामले में मृत्युदण्ड की सजा का विराध किया। उनके अनुसार मृत्युदण्ड कोई इलाज नहीं है न ही इससे समाज अधिक सुरक्षित बनता है। बच्चियों से बलात्कार के मामले में मृत्युदण्ड का प्रावधान न सिर्फ प्रतिगामी है अपितु यह सहज ज्ञान के विपरीत भी है जो अंततः बच्चों के लिए हानिकारक होगा। बाल अधिकार कार्यर्ताओं द्वारा किये गये शोधों के अनुसार मृत्युदण्ड का प्रावधान बलात्कार में कमीं लाता है एक गलत फहमी है जो कुछ भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। दरअसल बलात्कार के लिए फासी का प्रावधान बस एक भटकी हुई चिंता है एक नकली चिंता जो न स्त्री अस्मिता के प्रति संवेदशील है और न ही न्यायतंत्र की गरीमा के प्रति। उसमें यह दिखने की फिक्र है कि वह स्त्री सम्मान के प्रति बहुत संवेदनशील है। अन्यथा कोशिश कड़े कानून की नहीं बलात्कार के आरोपों पर पहली और त्वहरित कार्यवाही करने की होती। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने निम्न तर्को के आधार पर केन्द्र सरकार के अध्यादेश का विरोध किया है-

- यह भ्रामक धारणा है कि मृत्युदण्ड के भय से बलात्कार के मामलों में कमी आयेगी। बलात्कार को रोकने के लिए देश में बने कानूनों की पहले से ही कमी नहीं है। इसके बावजूद देश में लगातार इन मामला का ग्राफ बढ रहा है। यदि मृत्युदण्ड की सजा से हि समाज और देश अपराध मुक्त होते तो सबसे पहले चीन इस समस्या से मुक्त हो जाता।

- जस्टिस जे. एस. वर्मा समिति के अनुसार बलात्कार के मामले में मृत्युदण्ड का प्रावधान प्रतिगामी हो सकता है। और हो सकता है कि इससे निवारक प्रभाव उत्पन्न नहो। ऐसे प्रावधान से बच्चे का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि अपराधी आगे किसी मामले से बचने के लिए बच्चों की हत्या भी कर सकता है जैसा कि कठुआ में हुआ। हमारे देश में कई अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है मगर फिर भी अपराध होने से शेक नहीं पाये है।

- NCRB की रिपार्ट के अनुसार अधिकतर मामलों में अपराधी पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार या कोई जानने वाला ही होता है। ऐसे मामलों में हम भावनात्मक रूप से बंधे होते है और उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। पारिवारिक सदस्यों को

www.ignited.in

बचाने की कोशिश की जाती है। अतः मृत्युदण्ड का प्रावधान ऐसे मामलों की रिर्पोटिग को नकारात्मक ढ़ग से ही प्रावधान करेगा। पारिवारिक सदस्यों को कठोर सजा के भय के कारण मामले उजागर नहीं होंगे।

- यह धारणा भी गलत है कि चाइल्ड रेप के मामले में सजा कम थी अगर हम आई. पी.सी. और पॉक्सो एक्ट को देखे तो उनमें अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान कम नहीं है। मगर फिर भी रेप के मामले बढते जा रहे हैं। उनमें कोई कमी नहीं आई है।

- पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत त्वरित एवं प्रभावी न्याय दिलाने के लिए विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए एक वर्ष में मामले कानिस्तारण करना है, ऐसे में न्यायालयाँ द्वारा सामान्य कानूनी प्रक्रिया की भी प्रवाह नहीं की जाती कई बार खुले में कार्यवाही की जाती है। बच्ची की पहचान उजागर कर दी जाती है। पीडिता से कठोर प्रश्न पूछे जाते है। यह पूरी प्रक्रिया पीडित बच्चे के लिए एक मानसिक प्रताडना का कार्य करती है। एन सी आर बी की रिपोर्ट के अनुसार 89 प्रतिश तमामले अब तक लम्बित पडे है, जबकि दोषसिद्धि का दर मात्र 20 प्रतिशत है अर्थात दोषयुक्त आपराधिक न्याय तंत्र के कारण लगभग 80 मामलों में पीड़ित की न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे में मेनका गांधी पॉक्सों में फासी का प्रावधान जोडती रहें और राज्य सरकारे नाबालिग से बलात्कार के आरोपी बेखोफ घूमते रहगें, उनको पीडिताएँ इसकी सजा भुगतती रहेंगी।

बलात्कार को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए:-

अधिकांश पीडित बच्चे अपने दुव्यवहार को छुपाते हैं या सामाजिक कलंक समझे जाने के कारण माता-पिता या पारिवारिक सदस्य भी इस मामले को छिपाना अधिक उचित समझते है। क्योकि समाज में ऐसे बच्चों को हीन भावना से देखा जाता है। केवल कठोर सजा देकर या मृत्युदण्ड का प्रावधान करके इन मामलो को रोका नहीं जा सकता। इनको रोकने के लिए उन मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणो पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो बलात्कार के कारण बनते है और उनमें सुधार किया जाना चाहिए।

सरकार को मौजूदा कानूनों को मजबूत करने एवं उनके प्रवर्तन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पीडितो और गवाहो की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

लोगो में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। सेक्स एजूकेशन दी जानी चाहिए तथा उन्हे स्वयं पर नियत्रण रखना सिखाया जाना चाहिए।

बलात्कार को रोकने के लिए लोगों की मानसिकता को बदला जाना चाहिए। जब तक किसी भी सजा से इनको रोका नहीं जा सकता।

बलात्कार का एक कारण नशा भी है जिसकी वजह से 80 फिसदी बलात्कार होते है। अतः नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए।

केन्द्रय स्तर पर पीडित एवं गवाह संरक्षण स्कीम की आवश्यकता है जिससे पीड़ित और गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कानूनी प्रवर्तन ऐजेंसियो को प्रभावी बनाया जाना चाहिए तथा कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

वन स्टॉप क्राइसेस सेंटर बनाये जाने चाहिए।

बच्चों को सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों आदि स्थानों पर जोखिम से चिन्हित करने एवं रक्षण के पर्याप्त उपाय होने चाहिए।

बच्चों में आत्मविश्वास पैदा किया जाना चाहिए। उन्हे स्वयं की रक्षा की ट्रेकनग दी जानी चाहिए। लडकियाँ को मजबमत बनाया जाना चाहिए।

ऐसे कृत्यों को कलंक की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। यह सोशल स्टिम्मा है जो पीडिता को और बढा सकता है। परिवार के सदस्यों को पीडिता पर विश्वास करना चाहिए। कानूनों को लिगं निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:-

एक प्रतिशोधात्मक कानून का निर्माण कर महज खनापूर्ति करने में जो सरकारी के लिए अपेक्षाकृत आसान है एवं राजनीतिक रूप से अधिक फुलदायक है। परंतु इसमें न तो

पीड़िता के साथ न्याय होता है न ही समाज के साथ मृत्युदण्ड इसका कोई कारगर हल नहीं है।

संदर्भ-सूची

1. क्या मृत्युदण्ड से रूकेगें बलात्कार: शुभेन्दु कुमार पाण्डेय
2. भारतीय साक्ष्य (इंडियन एविडेस) एक्ट, 1872
3. आपराधिक दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973
4. पॉक्सो एक्ट 2012
5. भारतीय दण्ड संहिता 1860
6. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

Corresponding Author

Vinita*

Research Scholar, Department of Political Science, NIILM University, Kaithal, Haryana

vinitachhillar1983@gmail.com